राज्यों में प्रेस स्वतन्त्रता का दमन किये जाने के बारे में प्रेस परिषद् का अक्तूबर, 1974 का निर्णय

1290. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में प्रेस स्वतन्त्रता का दमन किए जाने के बारे में प्रेस परिषद ने अपने अक्टूबर, 1974 के निर्णय में उल्लेख किया था, और

(ख) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री वर्मवीर सिंह) : (क) प्रेस परिषद के अक्तूबर, 1964 के निर्णय में समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता का दमन किए जाने के बारे में किसी राज्य सरकार का नाम नहीं है। उसने एक उस विशिष्ठ मामले पर निर्णय दिया जो उसके सम्मुख लाया गया।

(ख) सरकार ने सन्तोषजनक रूप से यह नोट किया है कि प्रेस परिषद की सिफारिश का सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन किया गया है।

Inclusion of washermen (Dhobis) in the Scheduled Castes list

1291. SHRI RAJDEO SINGH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Washermen (Dhobis) have been placed in the Scheduled Castes list by U.P. Government and some other State Governments and if so, the reaction of the Union Government in this regard;

(b) whether the Central Government are aware that Maharashtra Government has not included Washermen (Dhobis) in the list of Scheduled Castes, and

(c) if so, whether the Union Government will ask the Maharashtra Government and other State Governments to have a uniform list of Scheduled Castes and henceforth treat washermen as Scheduled Caste and extend the facilities due to them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H MOHSIN): (a) to (c). Under the provisions of article 341 of the Constitution the Scheduled Castes are specified by the Central Government through Presidential Orders and not by the State Governments The Presidential Orders can be amended only by Parliamentary legislation.

At present the Dhobi community is specified as a Scheduled Caste in the States of Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Manipur, Orissa, Rajasthan, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal and in the Union Territory of Delhi. A uniform list for whole of the country is not feasible as article 341 of the Constitution requires specification of Scheduled Castes with respect to any State or Union Territory and envisages Statewise lists.

मैसर्स जे० बी० मंगाराम एण्ड कम्पनी द्वारा बेनामी लाइसेंस लिया जाना

1292. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मैसर्स जे० बी० मंगाराम एण्ड कम्पनी, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) ने सरकार से किन्हीं प्राप्त फर्मों और व्यक्तियों के नाम से लाइसेंस प्राप्त किए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) (क) और (ख) मैसर्स जे० बी० मंगाराम एण्ड कम्पनी को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन पंजीकृत दो फैक्टरियां है—एक ग्वालियर में और दूसरी हैदराबाद में। मैसर्स जे० बी० मंगाराम के तीन अन्य एकक स्थापित हुए हैं जो तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में हैं। वे ये हैं :—

(1) मैसर्स जीवन फूडस बम्बई फैक्टरी हैदराबाद में,

(2) मैसर्स मंगाराम एण्ड संस बम्बई, फैक्टरी बंगलौर में,

(3) मैसर्स इण्टरनेशनल फूड्स, बम्बई—फैक्टरी हैदराबाद में।

Proposal to stop Export of Nuclear know-how to other Countries

1293. SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government propose to stop export of nuclear know-how to foreign countries and if so, the reasons therefor;

(b) whether the U.S. Secretary of State has approached the Indian Government in this regard; and

(c) if so, the reaction of the Government of India in this regard?

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF ATOMIC ENERGY, MINISTER OF ELECTRONICS AND MINISTER OF SPACE (SHRIMATI INDIRA GANDHI): (a) We shall continue to co-operate with friendly countries in consonance with the terms of the collaboration agreements entered into with them on the peaceful uses of atomic energy.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Clash between Security Forces and Mizo Hostiles on Burma-Mizoram Border

1294. SHRI H N. MUKERJEE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state

(a) whether there was a major clash between the security forces and Mizo Hostiles on the Burma-Mizoram Border recently;

(b) if so, the facts thereof, and

(c) the steps Government propose to take to pacify Mizo hostiles?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H MOHSIN): (a). No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Government do not consider any talks with the underground Mizos would be purposeful as long as the Mizo rebels adhere to their secessionist demand and continue their treasonable activities.

केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में हिन्दी अधिकारी की नियुक्ति

1295. श्री चन्द्र शेखर सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 3 अक्तूबर, 1974 के एक हिंदी दैनिक तथा दिनांक 12 अक्तूबर, 1974 के एक अन्य हिंदी दैनिक समाचार-पत्र में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में हिंदी अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सम्पादक के नाम पत्रों की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां तो क्या इस बारे में सभी मंत्रालयों से पूछताछ की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले,

(ग) क्या पहले इसके लिए लिखित परीक्षा की व्यवस्था थी तथा बाद में लिखित